प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 12.08.2024

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरणः दिनांक 11.08.2024 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग/गश्त के दौरान दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त वारिस पुत्र अनवर निवासी म0नं0 डी-31 उमर मस्जिद के पास लक्ष्मण गार्डन, गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को सिकन्दरपुर रोड़ बेटी बचाओ बेटी पढाओ तिराहे के पास खाली पडे ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः

गिरफ्तार अभियुक्त वारिस पुत्र अनवर निवासी उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साइकिल 20-25 दिन पहले थाना खोडा क्षेत्र से चोरी की थी। जिसे बेचने की फिराक में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इधर-उधर धूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः

वारिस पुत्र अनवर निवासी म0नं0 डी-31 उमर मस्जिद के पास लक्ष्मण गार्डन, गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः

- फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः

- अभियुक्त वारिस पुत्र अनवर निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर लूट के 03 अभियोग, थाना टीलामोड पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग तथा थाना खोडा पर लूट व चोरी का 01-01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फर्म मालिक के 4,10,000/- रुपये गबन कर लूट की झूठी सूचना देने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4,10,000/- रुपये बरामद।

दिनांक 10-08-24 को श्री मिलन गुप्ता पुत्र श्री हेमराज गुप्ता निवासी G- 148 पटेलनगर III गाजियाबाद ने सूचना दी आज मेरे घर से मेरी कम्पनी मे काम करने वाले कृष्णा पान्डे को मैने 4,10,000 रुपय नगद दिल्ली के एक व्यापारी को देने के लिए भेजा था। कुछ देर बाद मेरे पास कृष्णा पान्डे का फोन आया कि बाइक सवार दो

अज्ञात लोगो ने रुपयो से भरा बैग, जिसमें 4,10,000/- थे, वो छीन कर भाग गये है। उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर से 03 टीमो का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद ली गयी, जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह घटना संदिग्ध प्रतित हुई, गहराई से छानबीन की गयी तो ज्ञात हुआ कि वादी मिलन गुप्ता के नौकर जिसको पैसे देकर, दिल्ली में एक व्यापारी को देने के लिए भेजा गया था, जो पिछले 05 वर्ष से मिलन गुप्ता के यहां पर नौकरी करता था, जिस पर मिलन गुप्ता का पूर्ण विश्वास था ने रास्ते में अपने भान्जे प्रिंस को बुलाकर सारे पैसे उसको दे दिये और अपने मालिक व पुलिस को लूट की झूठी सुचना दे दी। जांच के दौरान पाया गया कि कृष्णा ने अपने भान्जे को रास्ते मे पैसे दिये जिसे उसके भान्जे द्वारा मनी ट्रान्सफर की दूकान पर जाकर अपने रिश्तेदारो के खाते में अपने पैसे बताकर डाल दिये, कि यह पैसे में एक दो दिन में निकाल लूंगा। आज दोनो अभियुक्तों से पूर्ण 4,10,000/- रुपये व घटना में इस्तेमाल मो0सा0 सहित गिरफ्तार कर अभि0गण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में अभियुक्त कृष्णा पान्डे ने बताया कि मैं मूल रुप से गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं पिछले 05 वर्ष से गाजियाबाद में मालिक श्री मिलन गुप्ता जिनका हार्डवेयर ट्रेडिंग का काम है के यहां पर नौकरी करता हूं, और पिछले 02 वर्ष से कम्पनी में ही उपर बने कमरे मे परिवार के साथ रह रहा हूँ। मालिक मिलन गुप्ता ने मुझे 4,10,000/- रुपये दिल्ली एक व्यापारी के यहां पहुंचाने के लिए दिए थे। मेरे उपर काफी कर्ज चल रहा है, तो रास्ते मे मेरी नियत खराब हो गयी और मैने अपने भान्जे प्रिंस पान्डे जो कि लगभग 05 माह से अपनी पत्नी के साथ मेरे पास ही रहता है जो कि जोमेटो में कार्य करता है , को फोन द्वारा बुलाकर मैने वे पूरे पैसे 4,10,000/- उसको छिपाने के लिए दे दिए और फिर मैने अपने मालिक को लूट की झूठी सूचना दे दी। मैने अपने भान्जे से कहा कि पैसा अपने पास नही रखना तो उसने यह पैसा महेन्द्रा एन्कलेव शास्त्री नगर गाजियाबाद से मनी ट्रान्सफर वाली एक दूकान से यह कुल पैसे 4,10,000/- अपने रिश्तेदारो के खाते में मुम्बई ट्रान्सफर कर दिये थे।

अभि0गण का नाम व पता-

(1) कृष्णा पान्डे पुत्र जगदेव पान्डे निवासी 295 सद्दीक नगर सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद, मूल पता- ग्राम बल्लवपूर्वा वजीरगंज थाना वजीरगंज जिला गोंडा उम्र करीब-30 वर्ष।

(2) प्रिंस पान्डे पुत्र आन्नद पान्डे निवासी किराये का मकान सद्दीक नगर सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद, मुल पता- पन्डित पूर्वा थाना बलेश्वर गंज जिला गोंडा उम्र करीब – 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण—

चार लाख दस हजार रुपये (04,10,000/-)

मो0सा0 होन्डा रजि नं0 UP 14 FK 2648

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।